न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः— 111/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. कन्हैयालाल पिता बादरमल गुगलिया (महाजन) निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन व पथ उपखण्ड रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम पंचायत मौखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. अमरा पिता केला कालबेलिया निवासी मोचुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. किशन पिता लेहरू जाट निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सुरेश पिता लेहरू जाट निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रमेश पिता आसु जाट निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रामेश्वर पिता आसु जाट निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. भगवान पिता सोहन लौहार निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. भगवान उर्फ भागुराम पुत्र सोहन तेली निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. रामेश्वरलाल पुत्र शंकरलाल लौहार निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. सुनिल बाफना —

अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 28.02.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मोखुन्दा पटवार मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा की सरहद में प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 1796 रकबा 1.08 हैक्ट. स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। विपक्षीगण प्रार्थी के उक्त आराजी के चारौ तरफ के पड़ोसी है इसलिये उन्हे भी पक्षकार विपक्षीगण बनाया गया है। प्रार्थी की आराजी न0 1796 के चारौ तरफ कोई पक्के मुस्तकिल निशानात नहीं होने से आये दिन विपक्षी स0 3 लगायत 10 प्रार्थी की उक्त आराजी में नाजायज रूप से दखलअंदाजी करते है कभी हकाई समय ज्यादा हकाई कर प्रार्थी की आराजी के आशिंक भाग को अपनी आराजी सें मिला लेते है कभी मवेशी घुसाकर फसल को नष्ट करा दते है इसलिये प्राथी को अपनी आरजी की पत्थरगढ़ी कराया जाना अत्यंन्त आवश्यक है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को दिनांक 18.1118 को कहा की प्रार्थी की उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी करा ली जावे किन्तु विपक्षी संख्या 2 लगायत 10 ने इन्कारी कर दी की वे कोई सहमति देने वाले नही है प्रार्थी चाहे तो नियमो के साथ पत्थरगढ़ी करा सकता है। विपक्षी संख्या 1 व 2 सार्वजनिक निर्माण विभाग व ग्राम पंचायत मोखुन्दा की आबादी क्षेत्र है जिससे लगी हुयी प्रार्थी की आराजी ये दोनो भी प्रार्थी की आराजी कें

पड़ोसी होने से इन्हे पक्षकार बनाया गया है । बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.18 को उत्पन्न होकर प्रतिदिन जारी है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 26.12.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 एवं 2 तथा 4 से 7 एवं 9 से 10 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। विपक्षी स0 3 व 8 के विरूद्व प्रार्थी के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम मोखुन्दा पटवार मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा की सरहद में प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 1796 रकबा 1.08 हैक्ट. स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा